



Neutral Citation No.2026:AHC-LKO:21523

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

दांडिक प्रकी. अग्रिम जमानत आवेदन सं. - 1755 वर्ष 2025, अं./धा.

482 भा.ना.सु.सं.

राजेश चंदर राठौर उर्फ खन्ना

..... आवेदक (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, उ. प्र. लखनऊ,
एवं एक अन्य

..... विरोधी पक्षकार (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : महेश कुमार शर्मा, अनिल कुमार त्रिपाठी
विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता : शा.अ.

न्यायालय सं. -13

माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार

1. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान् अ.शा.अ. को सुना गया।
 2. इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20.11.2025 द्वारा, प्रत्युत्तरदाता सं. 2 को नोटिस जारी करते हुए, आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान करने का आदेश पारित किया है।
- सुविधा के लिए, आदेश एतदन्विम उद्धृत किया गया है:

"1. आज दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर ले लिया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता और विद्वान् अ.शा.अ. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

3. वर्तमान आवेदन, धारा 69, 123, 351(3), भा.न्या.सं., पु.था. पी.जी.आई., जिला लखनऊ, के अधीन, प्र.सू.रि. सं. 490 वर्ष 2025, में गिरफ्तारी की आशंका के कारण अग्रिम जमानत की मांग करते हुए, भा.ना.सु.सं. की धारा 482 के अधीन दाखिल किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्र.सू.रि. के अनुसार, यह अभिकथन किया गया था कि सूचनादाता के पति की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वह आवेदक से मिली और उसके बाद विवाह के झूठे बहाने से उनके बीच शारीरिक संबंध बने थे। पीड़िता की अनुमानित आयु लगभग 36 वर्ष है।

5. विद्वान् अ.शा.अ. ने जमानत की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया था।

6. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि ये संबंध 2 वर्ष से अधिक समय तक विभिन्न अवसरों पर बनाए गए थे प्रथमदृष्ट्या, अग्रिम जमानत दिए जाने का मामला बनता है। तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक राजेश चंद्र राठौर उर्फ खन्ना को उपर्युक्त प्र.सू.रि. संख्या में, आरोप-पत्र दाखिल होने तक, संबंधित अन्वेषण अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार रु. 5000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर निर्मुक्त किया जाए:

(i) आवेदक, जैसे और जब अपेक्षित होगा पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा और अन्वेषण में सहयोग करेगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके; और

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएगा।

8. प्रत्युत्तरदाता सं. 2 को, शीघ्र दिनांक पर वापसी-योग्य, नोटिस जारी किया जाए।

9. दो सप्ताह के भीतर आवश्यक कदम उठाए जाएं।

10. इस मामले को, छह सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जाए।"

3. कार्यालय रिपोर्ट दिनांक 09.01.2026 के अनुसार, प्रत्युत्तरदाता सं. 2 को व्यक्तिगत रूप से नोटिस तामील करा दिया गया है, किन्तु आज तक उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. विद्वान् अ.शा.अ. ने निवेदित किया है कि उन्होंने प्रति शपथपत्र दाखिल कर दिया है, जो अभिलेख पर है। अग्रेतर निवेदित किया गया है कि आवेदक का पूर्ववर्ती तीन मामलों का आपराधिक इतिहास है, पहला, धारा 376-क, 504 और 506, भा.दं.सं. सपठित धारा 3(2)(v), अ.जा./अ.ज.जा. अधिनियम और धारा 3/4, पाँक्सो अधिनियम के अधीन, वाद अपराध सं. 66/2019 के रूप में रजिस्ट्रीकृत है; दूसरा धारा 379, 504 और 506, भा.दं.सं. के अधीन प्र.सू.रि. सं. 637/2020 के रूप में रजिस्ट्रीकृत है; और तीसरा धारा 504 और 506, भा.दं.सं., पुलिस थाना, पी.जी.आई., जिला लखनऊ के अधीन मु0 अपराध सं. 417/2024 के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, जिसमें अंतिम रिपोर्टें दाखिल की गई हैं।

5. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदित किया है कि प्रत्युत्तरदाता सं. 2 ने 01.02.2023 को आवेदक के पक्ष में भूमि का एक रजिस्ट्रीकृत विक्रय-अनुबंध निष्पादित किया था, और उसके बाद 01.09.2025 को, उसने उसी भूमि का विक्रय-अनुबंध किसी अन्य व्यक्ति के साथ निष्पादित किया था। इससे व्यथित होकर, आवेदक ने 06.09.2025 को उपायुक्त (दक्षिण), पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदक के इस आवेदन पर, प्रत्युत्तरदाता सं. 2 और उसकी सगी बहन को, जो उस अनुबंध पर हस्ताक्षरकर्त्री थी, पुलिस द्वारा बुलाया गया था। प्रत्युत्तरदाता सं. 2 की बहन पुलिस के समक्ष उपस्थित हुई थी और उसका

कथन अभिलिखित किया गया था, जिसमें उसने स्वीकार किया था कि उसकी बहन ने उसी भूमि “अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



का विक्रय-अनुबंध किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में किया है। अन्वे.अधि. ने यह उल्लिखित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि प्रत्युत्तरदाता सं. 2 ने सहयोग नहीं किया था, जबकि उसकी बहन ने अन्वेषण में सहयोग किया है।

6. आगे यह भी निवेदित किया गया है कि 21.09.2025 को प्रत्युत्तरदाता सं. 2 की बहन का कथन अभिलिखित किए जाने के बाद, प्रत्युत्तरदाता सं. 2 ने, केवल आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाने के लिए, जवाबी कार्रवाई के रूप में 28.09.2025 को आवेदक के विरुद्ध एक प्र.सू.रि. दर्ज कराई है, और इस वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के साथ दाखिल शपथपत्र के पैरा 21, 22 एवं 23 में विशिष्ट प्रकथन किए गए हैं। आवेदक लखनऊ का स्थायी निवासी है और उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है।

7. विद्वान् अ.शा.अ. से यह पूछे जाने पर कि उपर्युक्त पैरा के संबंध में प्रति शपथपत्र में क्या उत्तर दिया गया है, उन्होंने निवेदन किया है कि उन बातों से केवल इन्कार किया गया है, और प्रति शपथपत्र में अग्रेतर कहा गया है कि पक्षकारों के बीच कोई अनुबंध हुआ था। आवेदक द्वारा, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित शपथपत्र पर किए गए उन प्रकथनों से, प्रति शपथपत्र में उन दस्तावेजी साक्ष्यों से इन्कार या विवादित किए बिन, केवल सामान्य रूप से इन्कार करना, उत्तर पैरा में किए गए प्रकथनों को स्वीकार करने के समान है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. यहां उपर्युक्त उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों की दृष्टि से, प्रत्युत्तरदाता सं. 2 द्वारा दर्ज की गई प्र.सू.रि., प्रथमदृष्ट्या, आवेदक पर दबाव डालने और उसे परेशान करने के लिए जवाबी कार्रवाई के रूप में दर्ज की गई प्रतीत होती है। **मुशीर आलम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य** [(2025) एस सी सी ऑनलाइन एस सी 116] के वाद में पारित निर्णय के प्रकाश में, अंतरिम अग्रिम जमानत आदेश की पुष्टि की जाती है, जिसमें निर्णीत किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में एक प्रथा है कि आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद गिरफ्तारी की जाती है, और असामान्य प्रथा पर, न्यायालय कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, सिवाय इसके कि इसका कोई औचित्य नहीं है, और क्योंकि अन्वेषण पूरा हो चुका है और आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए अभियुक्त से संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार जमानत देने के लिए कहा गया है, और औपचारिक गिरफ्तारी करने का कोई अर्थ नहीं है। **मुशीर आलम (उपर्युक्त)** के वाद में दिए गए निर्णय के सुसंगत पैरा सं. 8 एवं 9 इस प्रकार हैं:

"8. याची की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदित किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में एक प्रथा है कि आरोप-पत्र दाखिल होने और न्यायालय द्वारा आरोप-पत्र का संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी की जाती है। हम इस असामान्य प्रथा के संबंध में कुछ भी कहना उचित नहीं समझते हैं, सिवाय इसके कि इसका कोई औचित्य नहीं है।"

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. हमारा विचार है कि जब अन्वेषण पूरा हो जाता है और आरोप-पत्र दाखिल कर दिया जाता है, तब अभियुक्त से संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार जमानत देने के लिए कहा जाना चाहिए।"

9. उपर्युक्त पर सम्यक् विचार करने के बाद, विचारण के निस्तारण तक अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए, जबकि आवेदक - राजेश चंद्र राठौर उर्फ खन्ना, संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और विचारण/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार जमानत बंधपत्र और प्रतिभू प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन, वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन **अनुज्ञात** किया जाता है:

(i) कि आवेदक, जैसे और जब अपेक्षित होगा पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा और फरार नहीं होगा;

(ii) कि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष बताने से रोका जा सके, या साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(iii) कि आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएगा;

(iv) कि आवेदक प्रत्येक नियत दिनांक पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो; और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(v) कि आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा नहीं।

10. चूक की स्थिति में, तो अन्वेषण अभिकरण इस आदेश को अपास्त करवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

मार्च 25, 2026

नितेश

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”